फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

प्रार्थी/वादी
शैतानसिंह

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण
सायरीदेवी वगैरह

मुकदमा नं. 269/2024

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
05.05.2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 11, 12, 19 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 42, 44, 46, 47 की ओर से वकील श्री भैरूराम कुमावत ने आज भी वकालात नामा पेश नहीं किया है, अप्रार्थी संख्या 39 व 45 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 10, 13 से 18, 25, 27 से 30, 32 से 38, 40, 41, 43, 48 से 60 के सम्मन पर्याप्त तामील प्राप्त होने व उपस्थिति इन्तजार होने पर भी गैर हाजिर रहे है। अतः इनके विरूद्ध पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वकालातनामा प्रस्तुत नहीं करने तथा आज भी उक्त अप्रार्थीगण स्वयं गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण से संबंधित मूल वाद प्रकरण में वकील वादी एवं प्रतिवादी संख्या 39 व 45 ने प्रकरण में आपसी सहमति से बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदर नावां से मंगाये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रकरण हाजा जो कि सम्मरी प्रोसेडिंग का है तथा इसके निस्तारण हेतु 3 माह की अवधि निर्धारित है। प्रकरण 20 माह से लम्बित है। अतः प्रकरण हाजा प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का इसी स्टेज पर खारिज योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 खारिज किया जाता है। मिसल अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	